2026:RJ-JP:30460

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous 3rd Bail Application No. 7934/2026
CNR: RJHC020478862026 | URN: CRLMB / 14526U / 2026

Arun @ Golu S/o Hansraj, R/o Tond, Police Station Malarna Dungar, District Sawai Madhopur (Raj.) (At Present In District Jail Dausa).

----Petitioner

Versus

The State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Arvind Balaut, Adv.
For Respondent(s)	:	Ms. Manju Dave, PP Mr. Shubham Saini, Adv.

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Judgment / Order

05/08/2026

प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु प्रस्तुत तृतीय जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस. पर दोनों पक्षों को सुना गया, अभिलेख का अवलोकन किया।

विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का निवेदन है कि अब तक कुल 8 गवाहान के बयान हो चुके हैं जिसमें किसी के द्वारा अभियुक्त को नामजद नहीं किया है।

यहां यह उल्लेखनीय हे कि मामला प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य का नहीं होकर परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है। पूर्व में उपलब्ध सामग्री व सभी तर्कों को विचार में लेकर प्रथम जमानत जमानत विस्तृत आदेश के माध्यम से खारिज किया गया था, अभी भी परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित अन्य महत्वपूर्ण गवाहान के बयान होना शेष हैं।

अतः प्रस्तुत तर्कों, प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, प्रार्थी–अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आक्षेपों की गंभीरता आदि को दृष्टिगत रखते हुए इस प्रक्रम

RAJASTHAN HIGH COURT

पर प्रकरण के गुणावगुण पर विवेचन किये बिना प्रार्थी–अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामतः प्रार्थी–अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत तृतीय जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

चूंकि अभियुक्त दिनांक 19.03.2025 से अभिरक्षा में है, अतः विद्वान अधीनस्थ न्यायालय को निर्देश दिया जाता है कि शेष गवाहान की तलबी व परीक्षण हेतु अग्रिम रूप से कलेण्डर तैयार कर प्रकरण के यथाशीघ्र निस्तारण का प्रयास करें।

अभियुक्त पक्ष द्वारा इस आदेश की प्रति विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जावे।

कार्यालय द्वारा भी इस आदेश की प्रति अविलम्ब विचारण न्यायालय को प्रेषित की जावे।

(UMA SHANKER VYAS),J

16/Mittal